प्रेषक,

महानिदेशक
परिवार कल्याण महानिदेशालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः—प0क0 / 08—प्रशि0 / अरबन आशा (1) / 2016—17 / 5786-75 दिनांक 28-10.2016

विषयः—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ''शहरी आशा'' के चयन के सम्बन्ध में नवीन दिशा— निर्देश लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 2389 / 5—10—16—9(120) / 13, दिनांकः 20 अक्टूबर 2016 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से शासनादेश संख्याः 2505 / 5—10—15—9(120) / 13, दिनांकः 01.01.2016 में अरबन आशा के चयन के लिये दी गयी अर्हताओं में परिवर्तन कर नया शासनादेश लागू किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपदों में निम्न आर्हता के अनुसार अरबन आशा का चयन किया जायें:—

1. जिन मलिन बस्तियों में हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे है उन सम्बन्धित मलिन बस्तियों में हाईस्कूल उत्तीर्ण के स्थान पर कक्षा—8 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा, बशर्ते जिला स्वास्थ्य समिति प्रमाणिक रूप से पूर्णतया संतुष्ट हो ले कि सम्बन्धित मलिन बस्तियों में हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे है।
2. जिला स्वास्थ्य समिति प्रत्येक सम्बन्धित मलिन बस्तियों के प्रकरण को उक्त शर्त के पूर्ण होने पर अनुमति देने पर विचार करेगी।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

28/10/16

o/c (पी0एल0 गुप्ता)
महानिदेशक,
परिवार कल्याण

पत्र संख्याः— प0क0 / 08—प्रशि0 / अरबन आशा (1) / 2016—17 / 5861-270 तद्दिनांक 27-X-16

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त चिकित्सा वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा व्यय विवरण समय से भेजवाना सुनिश्चित करें।
8. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा—निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त रीजनल कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।

28/10/16

o/c (पी0एल0 गुप्ता)
महानिदेशक,
परिवार कल्याण

27/10/16

प्रेषक,

महानिदेशक

परिवार कल्याण महानिदेशालय

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः—प0क0/08—प्रशि0/अरबन आशा (1)/2016—17/5786-75 दिनांक28-10.2016

विषयः—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ''शहरी आशा'' के चयन के सम्बन्ध में नवीन दिशा— निर्देश लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 2389/5—10—16—9(120)/13, दिनांकः 20 अक्टूबर 2016 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से शासनादेश संख्याः 2505/5—10—15—9(120)/13, दिनांकः 01.01.2016 में अरबन आशा के चयन के लिये दी गयी अर्हताओं में परिवर्तन कर नया शासनादेश लागू किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपदों में निम्न आर्हता के अनुसार अरबन आशा का चयन किया जायें:—

1. जिन मलिन बस्तियों में हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे है उन सम्बन्धित मलिन बस्तियों में हाईस्कूल उत्तीर्ण के स्थान पर कक्षा—8 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा, बशर्ते जिला स्वास्थ्य समिति प्रमाणिक रूप से पूर्णतया संतुष्ट हो ले कि सम्बन्धित मलिन बस्तियों में हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे है।
2. जिला स्वास्थ्य समिति प्रत्येक सम्बन्धित मलिन बस्तियों के प्रकरण को उक्त शर्त के पूर्ण होने पर अनुमति देने पर विचार करेगी।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

28/10/16

o/c (पी0एल0 गुप्ता)

महानिदेशक,

परिवार कल्याण

पत्र संख्याः— प0क0/08—प्रशि0/अरबन आशा (1)/2016—17/5861-270 तद्दिनांक 27.x.16

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त चिकित्सा वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा व्यय विवरण समय से भेजवाना सुनिश्चित करें।
8. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा—निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त रीजनल कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।

28/10/16.

o/c (पी0एल0 गुप्ता)

महानिदेशक,

परिवार कल्याण

27/10/16

संख्या—2389/5—10—16—9(120)/13

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्याकंन,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग—10 लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर, 2016

विषयः— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "शहरी आशा" के चयन के सम्बन्ध में नवीन दिशा—निर्देश लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या—2505/5—10—15—9(120)/13 दिनांक 01.01.2016 में अरबन आशा के चयन के लिए निम्नलिखित अर्हतायें निर्धारित किये गये हैः—

(1) आशा को सम्बन्धित स्लम क्षेत्र की स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। विवाहित/विधवा/तलाकशुदा/पति से अलग हो गयी महिला को प्राथमिकता दी जाए।
(2) उम्र 20 से 45 वर्ष के बीच हो।
(3) हाईस्कूल उत्तीर्ण हो।

2— राज्य स्तरीय बैठकों में समीक्षा के दौरान यह तथ्य उभर कर आये है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों की मलिन बस्तियों में हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। उक्त व्यवहारिक कठिनाई के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गयाः—

(1) जिन मलिन बस्तियों में हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं उन सम्बन्धित मलिन बस्तियों में हाईस्कूल उत्तीर्ण के स्थान पर कक्षा—8 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा, बशर्ते जिला स्वास्थ्य समिति प्रमाणिक रूप से पूर्णतया संतुष्ट हो ले कि सम्बन्धित मलिन बस्तियों में हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
(2) जिला स्वास्थ्य समिति प्रत्येक सम्बन्धित मलिन बस्तियों के प्रकरण को उक्त शर्त के पूर्ण होने पर अनुमति देने पर विचार करेगी।

3— उक्त सीमा तक शासनादेश संख्या—2505/5—10—15—9(120)/13 दिनांक 01.01.2016 संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या—2389 (1)/5—10—16—तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2— प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
5— प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6— सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

7– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

8– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

/

(संजय कुमार मिश्र)
उप सचिव।